संख्या-11/आई/1212905/2026/005-89-1002/11/2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2026

विषय- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर कानपुर नगर में स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-आई/419511/2026/UPDTE/242/2025, दिनांक 16.01.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-40/आई/897090/2025/001-89-1002/11/2025 दिनांक 04 मार्च, 2025 द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर कानपुर नगर में भवन मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत की धनराशि रुपये 464.89 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 44.89 लाख स्वीकृत की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 04.03.2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर कानपुरनगर में भवन मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष **रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया प्रदान करती हैं।

						धनराशि रूपये लाख में
क्र0सं0	**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/जनपद का नाम**	**निर्माण कार्यो का विवरण**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन की धनराशि**	**पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत की जा रही धनराशि**	**कार्यदायी संस्था का नाम**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर कानपुर	भवन की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य हेतु	464.89	44.89	**250.00**	यू0पी0आर0एन0एस0एस0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 **2,50,00,000 (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 069 लेखा शीर्षक 4250002030500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस, लखनऊ ।
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर कानपुर नगर ।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।